भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1376

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 08 दिसंबर, 2025

17 अग्रहायण,1947 (शक)

बिहार में एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक

1376. **श्रीमती लवली आनंद**:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) द्वारा संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनके संरक्षण हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने शिवहर क्षेत्र में ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के नवीन स्थलों, विशेष रूप से प्राचीन व्यापार मार्गों या स्थानीय विरासत से जुड़े स्थलों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण उन स्थलों को केंद्रीय सहायता एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार की क्या नीति है जो वर्तमान में एएसआई के संरक्षण में नहीं हैं?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): बिहार राज्य में 70 प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। इनका अनुरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान, इनके संरक्षण और अनुरक्षण के लिए आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष	**आवंटन (राशि करोड़ में)**
2022-23	9.00
2023-24	16.00
2024-25	8.73
2025-26	12.50

(ख): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शिवहर जिले में ऐतिहासिक अथवा पुरातात्विक महत्व के नए स्थलों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, आसपास के जिलों अर्थात् पूर्वी चंपारण, मुज़फ़्फ़रपुर और पश्चिम चंपारण में 11 संरक्षित स्मारक और स्थल हैं जो प्राचीन व्यापार मार्गों से जुड़े हुए हैं।

(ग): केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐतिहासिक और पुरातत्विक महत्व के आधार पर उन स्मारकों का संरक्षण करता है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं।

*****